न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री राधेश्याम आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 15/2019

अपीलाण्ट

1. भंवर कंवर पत्नि स्व. माधुसिंह
   उम्र 43 वर्ष
2. कुन्दनसिंह पुत्र स्व. माधुसिंह
3. पूजा कंवर पुत्री स्व. माधुसिंह
   जातिगण :– राजपूत
   निवासी :– गुड़ा देवड़ान,
   मेड़तियान
   तहसील:– देसूरी, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. वहादुरसिंह उर्फ वादरसिंह पुत्र स्व. उम्मेदसिंह
2. मदनसिंह पुत्र स्व. उम्मेदसिंह जातिगण–राजपूत, निवासीगण गुड़ा देवड़ान मेड़तियान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान
3. अन्तर कंवर पुत्री स्व. उम्मेदसिंह पत्नि श्री हरीसिंह जाति–राजपूत, निवासी खारड़ा–राठौड़ों का वास, खारड़ा तहसील–रानी जिला–पाली राजस्थान
4. उछब कंवर पुत्री स्व. उम्मेदसिंह धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री वाघसिंह जाति–राजपूत, निवासी साण्डेराव–बेरा ढ़ीमड़ा, बस स्टैण्ड के पास, साण्डेराव, तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली राजस्थान

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ ग्राम मगरतलाव का नामान्तकरण संख्या 23 जो दिनांक 08.06.1989 को स्वीकृत किया गया उस नामान्तरण व स्वीकृति आदेश को निरस्त कराने।

उपस्थितः–

(1) अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रपकाश वैष्णव

निर्णय दिनांकः–03.03.2020

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम मगरतलाव का नामान्तकरण संख्या 23 जो दिनांक 08.06.1989 को नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया उस नामान्तरण व स्वीकृति आदेश को निरस्त कराने बाबत् प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एंव अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान एंव अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए एक प्रार्थना पत्र व्यवहार प्रकिया सहिता 1908 के अन्तर्गत आर्डर 23 (1) के अनुसार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे अपीलांट प्रस्तुत अपील उपर्युक्त व्यवहार प्रकिया सहिता 1908 के अन्तर्गत आर्डर 23 (1) के अनुसार यह अपील चलाना नही चाहता है।

क्योंकि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य आपसी समझाइस से राजीनामा हो गया है एंव राजीनामा के अनुसार अपीलार्थी को अपने हिस्से की भूमि प्राप्त हो चुकी है। इस कारण से अपीलार्थी उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहते है एंव अपीलार्थीगण इस अपील में आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील को जरिये विड्रोल खारीज फरमावें।

हमने प्रस्तुत सम्पूर्ण पत्रावली एंव रेकर्ड का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मध्य नजर रखते हुए व्यवहार प्रकिया सहिता 1908 के अन्तर्गत आर्डर 23 (1) के प्रावधान अनुसार अपीलार्थी की अपील को जरिये विड्रोल खारीज किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरणकरण पुनः लौटाया जावें एंव आदेश अनुसार पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली दाखील दफ्तर की जावें।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग)
अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 2/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग)
अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)